

उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग
संख्या-731 / V-2-53(आ०) / 2014
देहरादून : दिनांक ०६ जून, 2014
अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अधीन उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गज़ट में प्रकाशन की तिथि से निमानुसार राज्य प्राधिकरण का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जो उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कहलायेगा:-

1-	मा० आवास मंत्री-	अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव / सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन-	उपाध्यक्ष
3-	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि राज्य राज्य सरकार के प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर से निम्न न हो-	मुख्य प्रशासक
4-	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव / सचिव के स्तर से निम्न न हो-	अपर मुख्य प्रशासक
5-	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन-	पदेन सदस्य
6-	प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
7-	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
8-	प्रमुख सचिव / सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
9-	प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
10-	प्रमुख सचिव / सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
11-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड -	पदेन सदस्य
12-	वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण -	पदेन सदस्य
13-	राज्य सरकार द्वारा नामित 2 गैरसरकारी सदस्य-	सदस्य

(डी०एस०) गव्याल
सचिव

संख्या-731 / V-2-53(आ०) / 2014 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समरत प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, कुमायू/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
- 3- समरत जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त प्राधिकरण।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, आवास, उत्तराखण्ड सरकार।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- समरत पदाधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य प्राधिकरण।
- 9- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित कर 100 प्रतियां आवास अनुभाग-2 को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
- 10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)

अपर सचिव